

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 12/2024

प्रार्थी—

राजस्थान सरकार जरिये
प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थी—

श्री लक्ष्मण पुत्र श्री पारसमल निवासी
हनुमान बगेची के पास नया बस स्टेण्ड,
बालोतरा, जिला बालोतरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

- अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
- अप्रार्थी स्वयं बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 26.03.2025

- प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 11.09.2024 को श्री रामावतार पूनिया एवं रविन्द्रसिंह प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा, ने मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स जे. पी. गैस सर्विस नीलम टॉवर के पास, बालोतरा पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर अप्रार्थी श्री लक्ष्मण उपस्थित मिले। मौके पर 10 घरेलू गैस सिलेण्डर तथा 1 व्यावसायिक सिलेण्डर, 1 बिना आईएसआई मार्का का सिलेण्डर व एक सिलेण्डर से दुसरे सिलेण्डर में गैस भरने का रेगुलेटर मय पाईप व बासुरी, तीन रेगुलेटर बिना मानक वक्त जांच पाया गया। जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है—

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन
1.	71075 s	Bp	29.08	15.06	14.2
2.	942731 s	Indane	15.5	15.5	
3	251330 T	BP	15.7	15.7	
4.	812472 S	BP	15.8	15.8	
5.	213251 S	HP	15.6	15.6	
6.	307661 T	BP	15.7	15.7	
7.	395020 E	BP	15.6	15.6	
8.	443631 S	BP	18.4	15.4	3.00


जिला कलक्टर
बालोतरा


9.	020724 P	BP	15.8	15.8	
10.	886388 S	HP	15.6	15.6	
11.	043155 B	INDANE	19.00	19.00	

- मौके पर उक्त दुकान मे पाये गये घरेलु गैस सिलेण्डर द्वारा व्यवसायिक दुरुपयोग करने पर तथा एक सिलेण्डर से दुसरे सिलेण्डर में गैस भरने का रेगुलेटर मय पाईप व बासुरी, तीन रेगुलेटर बिना मानक को मौक पर उक्त को जब्त सरकार किया गया। जब्तशुदा गैस सिलेण्डर व बासुरी, रेगुलेटर को मैसर्स एस पी गैस एजेन्सी के मैनेजर श्री किशनाराम को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी), 4(ए) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलु व व्यवसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस तथा बासुरी व रेघुलेटर को राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।
- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया ।
- अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता तथा अप्रार्थी स्वयं बावजुद सूचना दौराने बहस अनुपस्थित रहे।
- हमने सरकारी पैरोकार की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग लेते हुए तथा एक सिलेण्डर से दुसरे सिलेण्डर में गैस भरने का रेगुलेटर मय पाईप व बासुरी, तीन रेगुलेटर बिना मानक पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये है, जो वर्तमान में गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स एस पी गैस एजेन्सी के मैनेजर श्री किशनाराम को सुपुर्दगी पर दिये गये है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी), 4(ए) व 7 के 1(सी) का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलु व व्यवसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस तथा बासुरी व रेघुलेटर को राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।
- अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तदधीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी), 4(ए) व 7 के 1(सी) का उल्लंघन में पाये गये उपरोक्त घरेलु व व्यवसायिक गैस सिलेण्डर

बिना अलका
दस्तावेज

मय गैस तथा बासुरी व रेघुलेटर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी बालोतरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलु गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें।

7. आदेश आज दिनांक 26.03.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।


(सुशील कुमार यादव)
जिला कलेक्टर, बालोतरा
बालोतरा

